Annexure - XLVII

सत्यमेव जयते

उत्तराचंल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778 / 2666779

पत्रांक : 555 / 56 / उ.सू.आ. / 2005 दिनांक : 01 / 02 / 2007

प्रेषक,

सचिव
उत्तरांखण्ड सूचना आयोग

सेवा में,

सचिव,
सामान्य प्रशासन, उत्तरांखण्ड शासन, देहरादून।

विषय – सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत का विनियमन) नियम, 2005 में संशोधन हेतु।

महोदय,

उत्तरांचल शासन की अधिसूचना संख्या 266 / XXII / 2005–9(31) 2005 दिनांक 13 अक्टूबर, 2005 द्वारा सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत विनियमन) नियम 2005 प्रख्यापित किये गय थे। पुनः उक्त प्रख्यापित नियमावली के नियम 3 में शासन की अधिसूचना संख्या 165 / सू0 / XXXI(13) G-2(2) / 2006 दिनांक 31 मार्च, 2006 द्वारा संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन सूचना हेतु आवेदन पत्र के साथ 10 रूपये के फीस उचित रसीद के प्रति नगद, डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशिल स्टाम्प पेपर के माध्यम से भुगतान किये जाने का संशोधन किया गया था। परन्तु पूर्व में प्रख्यापित अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर 2005 के नियम 4 और 5 में नियम 3 की भांति संशोधन नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि नियम 4 और 5 में भी तदानुसार नियम 3 की भांति संशोधन किये जाने हेतु अधिसूचना जारी करने का कष्ट करें।

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव

प्रतिलिपि श्री बी0पी0 मैठाणी, राज्य समन्वयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव